

संचिका संख्या-01/स्थांराज-352/2025-

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- सितम्बर, 2025

विषय :- श्री शिव शंकर आजाद, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज का पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि दिनांक-01.01.2025 से 31.05.2025 तक का विनियमन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया जी द्वारा तृतीय कम्बाईन्ड फाउन्डेशन/इंडक्शन कोर्स का प्रशिक्षण (प्रवेशकालीन का प्रथम एवं द्वितीय चरण) दिनांक-01.01.2025 से 31.05.2025 तक आयोजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में बिहार ईख सेवा के श्री शिव शंकर आजाद, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज ने अपने योगदान की तिथि से दिनांक-31.12.2024 से दिनांक-31.05.2025 तक सांस्थिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभागीय अधिसूचना संख्या-1/221562/2025 दिनांक-26.03.2025 द्वारा श्री शिव शंकर आजाद को ईख पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री शिव शंकर आजाद द्वारा दिनांक-02.06.2025 के पूर्वहन में अधिसूचित पद पर प्रभार ग्रहण किया गया है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10128 दिनांक-26.12.2003 के आलोक में श्री शिव शंकर आजाद, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज का दिनांक-01.01.2025 से दिनांक-31.05.2025 तक कुल 151 (एक सौ एक्यावन) दिनों का प्रशिक्षण अवधि के रूप में विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त हैं।

3. प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/-
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्थांराज-340/2025-

/पटना, दिनांक- सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्थांराज-340/2025-1456.

/पटना, दिनांक- 7 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि- विभागीय लेखा शाखा/श्री शिव शंकर आजाद, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज / श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।

8